कॉरपोरेट अभिशासन

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में, अक्षरश: और भावना से सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि अच्छा कॉरपोरेट अभिशासन, कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने से कहीं अधिक है। सुशासन, प्रभावी प्रबंधन और व्यापार के नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, बैंक को उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखने और अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है। संक्षेप में उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- शेयरधारक के मूल्य की रक्षा करना और बढ़ाना।
- ग्राहकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समाज जैसे अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता तथा अखंडता सुनिश्चित करने और सभी संबंधितों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना।
- प्रदर्शन और ग्राहक सेवा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए।
- दूसरों का अनुकरण करने के लिए उच्चतम मानक का कॉरपोरेट नेतृत्व प्रदान करना।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय एवं संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करे और बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण का एक ढांचा स्थापित करना और इसकी प्रभावकारिता की लगातार समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन और समीक्षा, निर्णय लेने, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट रूप से प्रलेखित और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रियाओं की स्थापना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएं, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों द्वारा भी निर्देशित होते हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हों, तो उनकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल कुछ मामले अपवाद हैं, जहां इन विनियमों के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। कॉरपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (भारतीय स्टेट अधिनियम ,1955) द्वारा हुआ। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड एसबीआई अधिनियम और विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुपालन में अपने कार्यों को पूरा करता है और उससे अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। इसकी प्रमुख भूमिकाओं में अन्य बातों के अलावा ये शामिल हैं,

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की देखरेख करना,
- अपने व्यापार और नियंत्रण तंत्र की अखंडता की निगरानी करना,
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- अपने हितधारकों के हितों को बढ़ाना।

केंद्रीय बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो एसबीआई अधिनियम की धारा 19(क) के तहत नियुक्त किए गए हैं; एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ख) के तहत चार प्रबंध निदेशकों को भी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। 31 मार्च 2022 तक बोर्ड के आठ अन्य निदेशक थे जो प्रौद्योगिकी, लेखा, वित्त और अर्थशास्त्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्यात पेशेवर हैं। 31 मार्च 2022 तक केंद्रीय बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी :

- धारा 19(क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श एवं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष,
- धारा 19(ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श एवं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चार प्रबंध निदेशक,
- धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा चुने गए चार निदेशक,
- धारा 19(घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित दो निदेशक,
- धारा 19(ड.) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक,
- और धारा 19(च) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की संस्तुति पर नामित एक निदेशक।

बोर्ड का गठन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप उस सीमा तक ही है कि वह एसबीआई अधिनियम, 1855 की धारा 19 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-I में दिया गया है। विभिन्न बोर्डों / समितियों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक में केंद्रीय बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की 13 बैठकें हुई थीं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 13

बैठकों की तारीखें : 22.04.2021, 21.05.2021, 21.06.2021, 14.07.2021, 04.08.2021,23.08.2021, 22.09.2021,25.10.2021, 03.11.2021, 08.12.2021, 12.01.2022, 05.02.2022, 23.02.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष	13	13
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, एमडी	13	13
श्री अश्वनी भाटिया, एमडी	13	13
श्री स्वामिनाथन जे, एमडी	13	13
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, एमडी	13	13
श्री बी. वेणुगोपाल	13	13
डॉ. गणेश जी नटराजन	13	10
श्री केतन एस. विकमसी	13	12
श्री मृगांक एम. परांजपे	13	12
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक)	12	12
श्री संजीव महेश्वरी	13	13
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (21.12.2021 से प्रभावी)	03	03
श्री देबाशीष पंडा (16.02.2022 तक)	12	05
श्री संजय मल्होत्रा (16.02.2022 से प्रभावी)	01	01
श्री चंदन सिन्हा (13.04.2021 तक)	00	00
श्री अनिल कुमार शर्मा (13.04.2021 से प्रभावी)	13	10

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक अगर भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही, 'बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन- निदेशकों की नियुक्ति एवं बोर्ड की समितियों का गठन' पर दिनांक 26 अप्रैल 2021 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड (एसीबी) की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष का पद केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का हिस्सा नहीं है। एसबीआई अधिनियम के अनुसार केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह आयोजित की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान ईसीसीबी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

2021-22 के दौरान ईसीसीबी बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

कुल बैठकों की संख्या 52

क्रम	निदेशक	नामांकन/ चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
1	श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष	52	52
2	श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, एमडी	52	51
3	श्री अश्वनी भाटिया, एमडी	52	52
4	श्री स्वामिनाथन जे, एमडी	52	50
5	श्री अश्विनी कुमार तिवारी, एमडी	52	48
6	श्री बी. वेणुगोपाल	52	45
7	श्री मृगांक एम. परांजपे	52	41
8	श्री संजीव महेश्वरी	52	26
9	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (21.12.2021 से प्रभावी)	14	12
10	श्री चंदन सिन्हा (13.04.2021 तक)	01	01
11	श्री अनिल कुमार शर्मा (13.04.2021 से प्रभावी)	51	33
निदेशक जो आमतौर बैठकों के स्थान के निवासी नहीं हैं, लेकिन उस दिन उस स्थान पर मौजूद थे जहां बैठक आयोजित की गई थी /वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया गया था :			
1	डॉ. गणेश नटराजन (26.06.2020 से प्रभावी)	-	37
2	डॉ. पुष्पेंद्र राय	-	32

अन्य बोर्ड स्तरीय समितियां :

एसबीआई अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 और सरकार/आरबीआई/सेबी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के संदर्भ में, केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड की अन्य नौ बोर्ड स्तरीय समितियां गठित की हैं। ये हैं- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की हितधारकों की संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति, बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति तथा आदतन चूककर्ताओं/गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति। ये समितियां लेखा परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का समाधान, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा और ग्राहक शिकायतों के निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियां, ऋण और अग्रिमों की वसूली पर निगरानी, आदतन चूककर्ताओं/गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा और निदेशक के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की 'फिट और उचित' स्थिति का निर्धारण करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बोर्ड को प्रभावी पेशेवर सहायता प्रदान करती हैं। यद्यपि नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की बैठक वर्ष में एक बार होती है, अन्य समितियां केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षाओं के कैलेंडर के अनुसार नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और/या डोमेन प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से आमतौर पर तिमाही में एक बार बैठक करती हैं। समितियों द्वारा बैंक के शीर्ष अधिकारियों की सेवाएं लेने के अलावा आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों को भी बुलाया जाता है।

समितियों की बैठकों में हुई चर्चाओं के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट एवं कार्यविवरण और कार्यवाहियों को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड (एसीबी) की लेखा परीक्षा समिति का गठन 27 जुलाई 1994 और आखिरी बार 23 मार्च 2022 को पुन: गठित किया गया था। एसीबी, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और एलओडीआर संशोधन विनियम 2018 के प्रावधानों का इस प्रकार अनुपालन करती है कि वे आरबीआई के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

एसीबी के कार्य

क. एसीबी द्वारा बैंक में समस्त लेखा परीक्षा कार्य के संचालन की देखरेख करने के साथ-साथ निर्देश भी प्रदान किया जाता है। समस्त लेखा परीक्षा कार्य का तात्पर्य बैंक के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य और निरीक्षण, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण के अलावा सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा, आरबीआई निरीक्षण के अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई से है। यह बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों की भी नियुक्ति करती है और समय-समय पर उनके प्रदर्शन की समीक्षा करती है।

ख. एसीबी द्वारा अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंक के वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा नीतियों और लेखा नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा की जाती है।

ग. एसीबी द्वारा बैंक में आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा योजना और कार्यों की समीक्षा के साथ ही प्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं अनुवर्तन की दृष्टि से

समीक्षा करता है। वह विशेषत:निम्नलिखित के अनुवर्तन पर ध्यान देता है:

- केवाईसी-एएमएल दिशानिर्देश;
- रखरखाव के प्रमुख क्षेत्र,
- सेबी का अनुपालन (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015

सेबी (एसओडीआर) संशोधन विनियमों, 2018 के अनुसार 06.03.2019 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लेखा परीक्षा समिति की भूमिका एवं संदर्भ शर्तों की समीक्षा की गई।

घ. यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समीक्षा करती है।

ङ. एसीबी द्वारा बैंकिग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 के तहत आरबीआई के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में उठाए गए सभी मुद्दों और सांविधिक लेखापरीक्षकों और अन्य आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की एलएफएआर पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। यह वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत करती है। लेखा परीक्षा समिति के एक औपचारिक 'लेखा परीक्षा चार्टर' या 'विचारार्थ विषय' को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाने वाली समीक्षाओं का एक कैलेंडर भी लागू है, जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है।

2021-22 के दौरान संरचना एवं उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में 31.03.2022 को पाँच सदस्य हैं। एसीबी में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बारह बैठकें आयोजित की गईं।

2021-22 के दौरान आयोजित एसीबी बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 12

बैठकों की तारीखें : 19.04.2021, 20.05.2021, 16.06.2021, 13.07.2021, 03.08.2021, 01.09.2021, 27.09.2021 02.11.2021, 01.12.2021, 17.01.2022, 04.02.2022, 11.03.2022

क्रम	निदेशक	नामांकन/ चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
1	श्री केतन एस विकमसी (समिति के अध्यक्ष)	12	11
2	श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, (20.05.2021 तक सदस्य)	02	02
3	श्री अश्वनी भाटिया, एमडी (20.05.2021 तक सदस्य)	02	01
4	श्री स्वामिनाथन जे, एमडी (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	-	01
5	श्री बी. वेणुगोपाल	12	12
6	श्री गणेश नटराजन (21.05.2021 से सदस्य)	10	06
7	श्री मृगांक एम. परांजपे	12	08
8	श्री संजीव महेश्वरी	12	09
9	श्री देबाशीष पांडा (07.02.2021 तक सदस्य)	09	00
10	श्री चंदन सिन्हा (13.04.2021 तक सदस्य)	00	00
11	श्री अनिल कुमार शर्मा (13.04.2021 से 07.12.2021 तक सदस्य)	09	06

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम से संबंधित आंतरिक जोखिम प्रबंधन नीति और कार्यनीति की निगरानी के लिए 23 मार्च 2004 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन किया गया था। इस समिति का अंतिम पुनर्गठन 23 मार्च 2022 को किया गया था और इसमें आठ सदस्य हैं। गैर-कार्यपालक निदेशक इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। आरएमसीबी की बैठक एक साल में कम से कम चार बार, प्रत्येक तिमाही में एक बार होती है। 2021-22 में आरएमसीबी की सात बैठकें हुईं। 01 अप्रैल 2019 को प्रभावी सेबी (एलओडीआर) संशोधन विनियमों, 2018 के अनुसार 06.03.2019 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लेखा परीक्षा समिति की भूमिका एवं संदभ शर्तों की समीक्षा की गई।

2020-21 के दौरान आयोजित आरएमसीबी बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 07

बैठकों की तारीखें : 17.06.2021, 06.07.2021, 14.09.2021, 26.10.2021, 20.12.2021, 08.02.2022, 28.03.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री मृगांक एम. परांजपे (समिति के अध्यक्ष)	06	06
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी, एमडी (07.12.2021 तक सदस्य)	04	04
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी, एमडी (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	-	01
श्री अश्वनी भाटिया, एमडी (08.12.2021 से सदस्य)	03	02
श्री स्वामिनाथन जे, एमडी	07	07
श्री बी वेणुगोपाल	07	07
डॉ. गणेश नटराजन (08.12.2021 से 22.03.2022 तक सदस्य नहीं)	05	03
श्री केतन एस विकमसी	07	06
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक)	05	05
श्री संजीव महेश्वरी	07	03
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (23.03.2022 से सदस्य)	01	00

बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) सह ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

सेबी के विनियमन (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के अनुपालन में हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी) (जिसे पहले बोर्ड की शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के रूप में जाना जाता था (एसआईजीसीबी), तथा जिसका गठन 30 जनवरी 2001 को हुआ था) का गठन किया गया था, जो शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, बॉन्ड/घोषित लाभांश आदि पर ब्याज प्राप्त न करने के संबंध में शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों की जांच करने के लिए बनाया गया था। बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त 2004 को किया गया था, जिसका उद्देश्य बैंक द्वारा निरंतर प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में किए जा रहे सुधारों से अवगत कराना था। बोर्ड स्तरीय समितियों को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 11 जून 2020 को आरबीआई की साइट पर 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' विषय पर प्रकाशित पर्चे में प्रस्तुत विचारों के अनुरूप केंद्रीय बोर्ड ने 25.06.2020 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) एवं ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का विलय मंज़ूर किया तथा विलय हुई समिति को बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) सह ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) नाम दिया गया तथा यह 26.06.2020 से प्रभाव में आई। समिति का गठन अंतिम बार 23 मार्च 2022 को किया गया था तथा इसमें सात सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की संरचना और एवं भूमिका सेबी विनियमों का पालन करती है। बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) एवं ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) ने वर्ष 2021-22 के दौरान चार बैठकें कीं।

एसआरसी सह सीएससीबी की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2021-22 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीख: 15.06.2021, 15.09.2021, 21.12.2021, 28.03.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक समिति के अध्यक्ष)	03	03
श्री बी वेणुगोपाल (23.03.2022 से समिति के अध्यक्ष)	04	04
डॉ. गणेश नटराजन	04	04
श्री केतन एस विकमसी	04	04
श्री मृगांक एम परांजपे (07.12.2021 तक सदस्य)	04	00
श्री संजीव महेश्वरी	04	02
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (23.03.2022 से सदस्य)	02	01
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी, एमडी	04	04
श्री स्वामिनाथन जे, एमडी	01	01

शेयरधारकों से अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान) :	259
शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप हल नहीं की गई शिकायतों की संख्या :	शून्य
लंबित शिकायतों की संख्या (विचाराधीन शिकायतें) :	शून्य
अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम:	श्री शाम के (सहायक महाप्रबंधक, अनुपालन एवं कंपनी सचिव)

बड़ी राशियों की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति :

बड़ी राशियों की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि की धोखाघड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। समीक्षा का उद्देश्य - प्रणालीगत खामियों (यदि कोई) तथा धोखाधड़ी के मामलों का ऐसे मामलों की सूचना में देरी के कारणों का पता लगाना, सीबीआई/पुलिस जांच कार्रवाई पर निगरानी रखना तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं को दुबारा होने से रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय सुनिश्चित करना है। समिति का अंतिम पुनर्गठन 23 मार्च 2022 को किया गया और इसमें छह सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2021-22 में समिति की छः बैठकें हुईं।

एससीबीएमएफ की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2021-22 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या 6

बैठकों की तारीख : 14.05.2021, 29.06.2021, 17.08.2021, 28.09.2021, 28.12.2021, 30.03.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री केतन एस. विकमसी, समिति के अध्यक्ष (20.05.2021 तक समिति के अध्यक्ष एवं उसके बाद सदस्य)	06	04
डॉ. पुष्पेंद्र राय (21.05.2021 से 05.02.2022 तक समिति के अध्यक्ष)	05	05
श्री संजीव महेश्वरी (22.03.2022 से समिति के अध्यक्ष)	06	04
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी, एमडी	04	03
श्री स्वामिनाथन जे, एमडी	01	01
श्री बी वेणुगोपाल (23.03.2022 से सदस्य)	06	06
डॉ. गणेश नटराजन (07.12.2021 तक सदस्य)	06	06
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (23.03.2022 से सदस्य)	01	01

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैक की सूचना प्रौद्योगिकी पहल की प्रगति पर नज़र रखने के लिए बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया। प्रौद्योगिकी समिति का नाम बदलकर 24 अक्तूबर 2011 से बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति किया गया है। समिति ने बैंक के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी गईं हैं:

i. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीतिगत दस्तावेज़ों को मंज़ूरी देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है।

ii. यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक संरचना व्यापार मॉडल और इसकी दिशा का पूरक है।

iii. यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी निवेश जोखिमों और लाभ का संतुलन प्रस्तुत करते हैं तथा यह कि बजट स्वीकार्य हैं।

iv. सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी के कुल वित्तपोषण की देखरेख करना और,

v. सूचना प्रौद्योगिकी प्रदर्शन माप और व्यवसाय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान की समीक्षा (अर्थात वादा किया गया मूल्य प्रदान करना)।

इस समिति का अंतिम पुनर्गठन 23 मार्च 2022 को सात सदस्यों के साथ किया गया था और इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2021-22 में समिति की छः बैठकें हुईं।

आईटीएससी की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2021-22 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 6

बैठकों की तारीख: 28.04.2021, 22.06.2021, 13.08.2021, 06.09.2021, 30.11.2021, 15.02.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
डॉ. गणेश नटराजन, समिति के अध्यक्ष	06	06
श्री स्वामिनाथन जे, एमडी	06	06
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, एमडी	06	06
श्री बी वेणुगोपाल	06	05
श्री केतन एस विकमसी (23.03.2022 से सदस्य)	00	00
श्री मृगांक एम. परांजपे	06	05
डॉ पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक सदस्य)	05	04
श्री संजीव महेश्वरी (07.12.2021 तक सदस्य)	05	02
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (23.03.2022 से सदस्य)	00	00

कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के तहत बैंक द्वारा आरंभ किए गए कार्यकलापों की समीक्षा के लिए अच्छे कॉरपोरेट अभिशासन के उपाय के रूप में 24 सितंबर 2014 को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआरसी) का गठन किया गया था। इस समिति का अंतिम पुनर्गठन 23 मार्च 2022 को किया गया था तथा इसमें सात सदस्य हैं। सबसे वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की पाँच बैठकें हुईं।

सीएसआरसी की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2021-22 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 05

बैठकों की तारीख: 15.04.2021, 31.08.2021, 09.11.2021, 18.01.2022, 07.03.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी, एमडी (समिति के अध्यक्ष)	05	05
श्री अश्विनी भाटिया, एमडी	05	05
श्री बी वेणुगोपाल (08.12.2021 से 22.03.2022 तक सदस्य नहीं)	03	02
डॉ. गणेश नटराजन	05	03
श्री केतन एस विकमसी	05	04
श्री मृगांक एम परांजपे	05	04
डॉ पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक)	04	04
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (23.03.2022 से)	00	00

बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 02 अगस्त 2019 के अपने मास्टर निर्देश एपीपीटी.संख्या 9/29.67.001 तथा भारत सरकार ने अपने पत्र फा.संख्या एफ 16/19/2019-बीओ-I दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक को एकल नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित (एनआरसी) करने का निर्देश दिया है एवं तदनुसार 25 अक्तूबर 2019 को एकल एनआरसी गठित की गई।

समिति का अंतिम पुनर्गठन 23 मार्च 2022 को किया गया था। समिति में पांच सदस्य हैं जिनमें गैर कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। यह समिति शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल उम्मीदवारों के 'फिट एवं उपयुक्त' होने की सावधानीपूर्वक जांच करती है। इसके अलावा, एनआरसी द्वारा अन्य बातों के साथ साथ बोर्ड स्तरीय समितियों एवं निदेशकों सहित बोर्ड के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु मानदंड फ्रेमवर्क तैयार करती है। समिति कम से कम वर्ष में एक बार बैठक करती है। वर्ष 2021-22 में समिति की एक बैठक हुई।

एनआरसी की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2021-22 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 1

बैठकों की तारीख: 28.01.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री बी वेणुगोपाल (समिति के अध्यक्ष)	01	01
डॉ पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक सदस्य)	01	01
श्री मृगांक एम परांजपे	01	01
डॉ. गणेश नटराजन	01	01
श्री केतन एस विकमसी (08.12.2021 से 22.03.2022 तक सदस्य नहीं)	00	00
श्री संजीव महेश्वरी (23.03.2022 से सदस्य)	01	00

वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति

भारत सरकार के सुझावों के अनुसार, केंद्रीय बोर्ड द्वारा ऋण और अग्रिमों की वसूली पर निगरानी के लिए 20 दिसंबर 2012 को हुई बैठक में वसूली की निगरानी के लिए एक बोर्ड समिति का गठन किया गया था। समिति का अंतिम पुनर्गठन 23 मार्च 2022 को किया गया था, जिसमें दस सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक एवं पांच गैर-कार्यकारी निदेशक सहित भारत सरकार नामित निदेशक भी शामिल हैं। जिसमें समिति ने वर्ष भर में चार बैठकें कीं तथा बैंक के एनपीए प्रबंधन और बड़े एनपीए खातों की समीक्षा की।

इरादतन चूककर्ता / सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान हेतु समीक्षा समिति

आरबीआई के निर्देशानुसार केंद्रीय बोर्ड ने समिति का गठन किया था। प्रबंध निदेशक (जोखिम, अनुपालन एवं एसएआरजी) इसके अध्यक्ष होते हैं तथा पाँच गैर-कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य होते हैं। इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/ सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान करने के लिए गठित समिति (एक ऐसी समिति जिसमें बैंक के उप प्रबंध निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं जो तथा इरादतन चूककर्ता/ सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं के बयान की पड़ताल एवं बयान दर्ज करती है) के आदेश की समीक्षा करके आदेश को अंतिम समझे जाने की पुष्टि करती है।

वर्ष 2021-22 में समिति की सात बैठकें हुईं।

स्थानीय बोर्ड

एसबीआई अधिनियम और सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के संदर्भ में, प्रत्येक केंद्र में जहां बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) है, स्थानीय बोर्ड/समितियां कार्यरत होती हैं। स्थानीय बोर्ड द्वारा केंद्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है एवं अन्य कार्यों तथा दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। 31 मार्च 2022 तक, दो एलएचओ के स्थानीय बोर्ड एवं शेष पंद्रह एलएचओ के स्थानीय बोर्ड की समितियां कार्यशील थीं। स्थानीय बोर्ड/ समितियों की बैठकों के कार्यविवरण और कार्यवाही को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

बैठक शुल्क

भारत सरकार द्वारा समय समय पर पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यकारी निदेशकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा अन्य कोई भुगतान नहीं किया जाता है। 25 अक्तूबर 2019 से केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए 70,000 रुपए और अन्य बोर्ड स्तर की बैठकों में भाग लेने के लिए 30,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण अनुलग्नक IV के रूप में संलग्न है।

बैंक की सदाचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केंद्रीय बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के निदेशकों ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-V के रूप में संलग्न है। आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है।

वर्ष के दौरान कार्यकलाप

1. वर्ष के दौरान निदेशकों के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई थी। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ संगठन संरचना, बैंक के विभिन्न व्यवसाय समूहों तथा अनुषंगियों व सहयोगी कंपनियों का संक्षिप्त परिचय, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, मानव संसाधन और प्रशिक्षण आदि शामिल थे।

2. बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन : बोर्ड के अभिशासन में लगातार सुधार करने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने एक प्रतिष्ठित बाहरी परामर्श संगठन को नियुक्त किया था, जिसने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड स्तर की समितियों और केंद्रीय बोर्ड के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मापदंडों को निर्धारित करने में सहायता की थी और समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में भी सहायता की थी। मूल्यांकन के मापदंडों और समग्र प्रक्रिया को बोर्ड मूल्यांकन, 2017 पर सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और नए सेबी मार्गदर्शन नोट के प्रावधानों के अनुरूप किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया वर्ष के दौरान पूरी कर ली गई थी।

   मूल्यांकन प्रक्रिया ने बैंक के अभिशासन मूल्यों में निदेशक मंडल के विश्वास, निदेशक मंडल के बीच मौजूद तालमेल और अध्यक्ष, बोर्ड और प्रबंधन के बीच सहयोग को मान्य किया।

3. अभिशासन के संदर्भ में बैंक के बोर्ड के समक्ष निरंतर प्रस्तुत हो रही विभिन्न मांगों तथा अर्थव्यवस्था में हमारे बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा बोर्ड सदस्यों एवं बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन को बैंकिंग उद्योग की ताज़ातरीन घटनाओं से अवगत कराने एवं आगे की कार्यनीति बनाने हेतु दिनांक 03 से 05 जनवरी 2022 तक भुवनेश्वर में एक कार्यनीतिक कार्यशाला 'स्ट्रेटजी रीट्रीट-विज़न 2027' का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का सबसे प्रमुख उद्देश्य बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन को विघटनकारी प्रौद्योगिकी का सामना करने एवं कोविड के बाद की चुनौतियों का सामना करने हेतु कार्यनीति पर चर्चा करने की सुविधा देना था। इस उतार-चढ़ाव भरे समय में तथा उद्योग/अर्थव्यवस्था में उभरते हुए नए चलन तथा बैंक पर प्रभाव के परिदृश्य में, एक प्रभावी कार्यनीति बहुत ही महत्व रखती है जिससे बैंक अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए अग्रणी स्थान पर बना रह सके।

   तदनुसार, विभिन्न विषयों पर गहन चिंतनशील सत्र आयोजित किए गए जैसे प्रभावी संगठन बनाने हेतु मानव संसाधन चुनौतियां तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने हेतु समर्थन जुटाना एवं उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रथाएं अपनाना, बैंक में प्रशिक्षण को नई दिशा देना, सुदृढ़ कॉरपोरेट असेट बुक बनाना, राजकोषीय मजबूती को बढ़ाना एवं आस्तियों से आय एवं लाभप्रदता पर केंद्रित करते हुए तुलन पत्र का इष्टतम उपयोग करना, ग्रामीण व्यवसाय प्राप्त करने हेतु कृषि एवं संबद्ध व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कार्यनीति एवं रोडमैप, प्रौद्योगिकी/फिनटेक का अधिकतम उपयोग करते हुए एमएसएमई सेग्मेंट पर ध्यान देना एवं एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ाने हेतु कार्यनीति एवं दिशा, बैंक में बैंकिंग प्रौद्योगिकी की उत्कृष्ट तकनीक एवं एनालिटिक्स को बढ़ावा देना तथा बैंक में एनालिटिक्स अपनाने का रोडमैप, डिजिटल स्पेस में उभरती चुनौतियों का कार्यनीतिक उपाय, बैंक में जोखिम एवं अनुपालन संस्कृति में सुधार करना एवं बढ़ावा देना, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग फुटप्रिंट में बढ़ोतरी की कार्यनीति, अनुषंगियों द्वारा मूल्य सृजन एवं सतत वृद्धि हेतु ग्राहक केंद्रित होना जैसे विषयों पर कार्यशाला आयोजित की गई। बोर्ड ने कार्यशाला के दौरान कुछ कार्यनीतियां बनाईं एवं व्यवसाय वृद्धि एवं प्रमुख वित्तीय मापदंड हेतु लक्ष्य निर्धारित किए तथा प्रत्येक वैयक्तिक व्यवसाय समूह को निगरानी योग्य कार्ययोजना एवं विशिष्ट लक्ष्य बनाने थे। विस्तृत कार्ययोजना एवं विशिष्ट टाइमलाइन तथा उसके बाद विभिन्न कार्यनीतिक पहल के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाते हुए प्रगति रिपोर्ट को आवधिक रूप से निदेशकों को प्रस्तुत करना होगा जिससे प्रगति की समीक्षा की जा सके।

4. कार्यनीतिक कार्यशाला के दौरान टाटा सन्स के अध्यक्ष श्री एन चंद्रशेखरन ने 'चुनौतियों के समय में बडे संगठनों को आगे ले जाना' विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया एवं प्रतिभागियों ने इसका लाभ उठाया। कार्यनीतिक एवं वित्तीय महत्व के मामलों पर बोर्ड सदस्यों को अवगत कराने तथा अभिशासन और अर्थव्यवस्था में हमारे बैंक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में बैंकों के बोर्ड में तेजी से रखी जा रही विभिन्न मांगों को देखते हुए वर्ष के दौरान बोर्ड सदस्यों के समक्ष कई प्रस्तुतियां की गईं। इसमें विशेष रूप से कोविड-19 महामारी का वैश्विक एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर, वित्तीय क्षेत्र में, बैंकिंग उद्योग पर तथा विशेष रूप से एसबीआई पर इसके प्रभाव के संबंध में विभिन्न उद्योग विशेषज्ञों एवं बैंक के अपने विभागों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं। कुछ प्रमुख प्रस्तुतियों का विवरण निम्नानुसार है:

   क. दिनांक 22.09.2021 को बैंक की ईसीसीबी बैठक में भविष्य की तैयारी में जीआईटीसी की पुनर्कल्पना पर प्रस्तुति दी।

   ख. दिनांक 25.10.2021 को केंद्रीय बोर्ड बैठक में कॉन्टेक्ट सेंटर में सुधार पर प्रस्तुति दी।

   ग. दिनांक 11.01.2022 को ईसीसीबी बैठक में ग्रीन मोबिलिटी - भारत में इलेक्ट्रिक वाहन रेटिंग के संदर्भ में भविष्य के वाहन पर प्रस्तुति दी।

5. कॉरपोरेट अभिशासन, क्रेडिट डिलीवरी, सूचना सुरक्षा आदि के विषयों की बेहतर समझ एवं अद्यतन रखने तथा उभरती हुई प्रमुख चुनौतियों, पर विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए समय समय पर निदेशकों के लिए परस्पर संवाद कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। पेशेवर निकायों जैसे आईडीआरबीटी/सीएएफआरएएल (आरबीआई द्वारा प्रायोजित)/ भारत सरकार द्वारा आयोजित सेमीनार/बैठकों में निदेशकों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, आरबीआई पुणे द्वारा 10.06.2021 को आयोजित वाणिज्यिक बैंकों हेतु कॉरपोरेट अभिशासन पर आयोजित कार्यक्रम में चार गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रतिनियुक्त किया गया, जबकि दो गैर-कार्यपालक ने 20.07.2021 को आयोजित ऐसे ही एक कार्यक्रम में सहभागिता की। बैंक द्वारा 22 सितंबर 2021 को बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु एक परिचर्चा का आयोजन किया गया जिसमें श्री एम. दामोदरन, पूर्व सेबी अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था। आईडीआरबीटी द्वारा 3 एवं 4 जून 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी साइबर सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में

एक कार्यपालक निदेशक ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य बैंक की साइबर सुरक्षा कार्यनीति की योजना बनाने एवं कार्यान्वित करने में प्रबंधन का योगदान प्राप्त करना था। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रबंधन को बैंक की साइबर सुरक्षा कार्यनीति की योजना बनाने और निष्पादन में प्रभावी योगदान करने में सक्षम बनाना था।

कॉरपोरेट अभिशासन, जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा परीक्षा आदि महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजित बोर्ड बैठकों में अक्सर बाहरी विशेषज्ञों के सहयोग से प्रस्तुति दी जाती है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को दिए गए वेतन एवं भत्ते (रुपये)

नाम	मूल वेतन	डीए	अन्य	कुल	टिप्पणी	अवधि
दिनेश कुमार खारा	2700000.00	742500.00		3442500.00		01.04.2021 से 31.03.2022
चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी	2558100.00	704139.00		3262239.00		01.04.2021 से 31.03.2022
अश्वनी भाटिया	2520600.00	695118.00		3215718.00		01.04.2021 से 31.03.2022
स्वामिनाथन जानकीरमन	2483400.00	683586.00	7150.00	3174136.00	भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.06.2021 के अनुसार 28.01.2021 से 27.01.2022 तक 7150.00 रुपये का व्यक्तिगत भत्ता अदा किया गया	01.04.2021 से 31.03.2022
अश्विनी कुमार तिवारी	2483400.00	683586.00		3166986.00		01.04.2021 से 31.03.2022

वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति

बैंक की वार्षिक आमसभा आमतौर पर मुंबई में आयोजित की जाती है, जहाँ बैंक का कॉरपोरेट केंद्र स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अनुसार केवल एक कार्यसूची अर्थात पिछले 31 मार्च तक तैयार किए गए तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाते पर चर्चा करना और उसे अपनाना होता है। साथ ही निदेशक रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 एवं भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 में पोस्टल बैलेट सुविधा का प्रावधान नहीं है।

बैंक की पिछली तीन वार्षिक महासभाओं का विवरण निम्नानुसार है-

i. वर्ष 2021-22 की वार्षिक आमसभा (एजीएम) का आयोजन 25 जून 2021 को दोपहर 3 बजे मुंबई में वीसी/ओएवीएम द्वारा किया गया तथा एमसीए एवं सेबी द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण दी गई छूट के अनुसार शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की गई। निम्नलिखित निदेशक बैठक में उपस्थित रहे- (i) श्री दिनेश कुमार खारा (ii) श्री चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी (iii) श्री अश्वनी भाटिया (iv) श्री स्वामिनाथन जानकीरमन (v) श्री अश्विनी कुमार तिवारी (vii) श्री गणेश नटराजन (viii) डॉ पुष्पेंद्र राय (ix) श्री संजीव माहेश्वरी (x) श्री अनिल कुमार शर्मा

ii. वर्ष 2019-20 की वार्षिक आमसभा (एजीएम) का आयोजन 14 जुलाई 2020 को प्रातः 11 बजे मुंबई में वीसी/ओएवीएम द्वारा किया गया तथा एमसीए एवं सेबी द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण दी गई छूट के अनुसार शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की गई।

iii. वर्ष 2018-19 की वार्षिक आमसभा का आयोजन 20 जून 2019 को दोपहर 3 बजे मुंबई में किया गया।

प्रकटीकरण

1. बैंक ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी ऐसा भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है, जो कि बड़े स्तर पर बैंक के हितों के साथ संभावित विवाद का कारण बने।

2. बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान शेयर बाजार, सेबी, आरबीआई या पूंजी बाज़ारों से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागू नियमों और विनियमों का हमेशा पालन किया है। उनके द्वारा आरबीआई की सेक्रेटरियल लेखा परीक्षा रिपोर्ट में प्रकट जुर्माने के अलावा बैंक पर कोई दंड या जुर्माना नहीं लगाया गया है।

3. जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) पर भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 04.11.2011 के अनुसार हमारे बैंक में व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी लागू है। उक्त पॉलिसी की समय समय पर समीक्षा की जाती है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार बैंक की आचार संहिता या सदाचार संहिता के उल्लंघन या धोखाधड़ी पर प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए 'व्हिसल ब्लोअर' पॉलिसी होनी चाहिए। इस पॉलिसी को बैंक वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध कराया गया है। उक्त पॉलिसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को लेखा परीक्षा समिति के पास जाने का निषेध नहीं है।

4. संबंधित पार्टी लेनदेन के महत्व पर नीति तथा 'महत्वपूर्ण' सब्सिडियरी के निर्धारण की नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in या bank.sbi पर https://bank.sbi/web/investor-relations/disclosure-under-regulation-46/ लिंक के तहत उपलब्ध है।

5. ऐबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25(9) के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने 22.04.2021 एवं 12.01.2022 को आयोजित बैठक में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25(8) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणा एवं पुष्टि को रिकॉर्ड में दर्ज किया है। साथ ही यह भी दर्ज किया है कि सभी स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(बी) के अंतर्गत सभी निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से पूरी तरह अलग हैं।

6. सेबी (एलओडीआर), विनियम की अनुसूची II के भाग ई में निर्दिष्ट विवेकाधीन आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं : (i) बैंक में एक कार्यपालक अध्यक्ष होता है जिसे एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा

19(ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। (ii) बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही में अपने निवेशकों/विश्लेषकों हेतु वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत किया जाता है तथा उसकी एक प्रति निवेशक सूचना हेतु स्टॉक एक्सचेंज में जमा की जाती है तथा बैंक की अधिकृत वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहती है। (iii) बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज में इस आशय की घोषणा दी हुई है कि बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम (एकल एवं समेकित) बिना किसी संशोधित मत के जारी किए हैं। (iv) बैंक में एक अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो आवधिक रूप से अपनी रिपोर्ट सीधे ही बैंक की लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत करता है।

7. बैंक ने विनियम 17 से 27 एवं विनियम 46(2) के खंड (ख) से (झ) तक एवं अनुसूची V के पैरा सी , डी एवं ई में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का पालन उस सीमा तक किया है कि खंड की आवश्यकताएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों या दिशानिर्देशों तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम का उल्लंघन नहीं करती हैं।

8. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक की प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से स्थगित नहीं किया गया।

संचार का माध्यम

बैंक का दृढ़ विश्वास है कि सभी हितधारकों को हमारे कार्यकलापों और उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए। वर्ष 2021-22 के बैंक के वार्षिक, छमाही और तिमाही परिणाम देश के अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। परिणाम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in या bank.sbi पर भी प्रदर्शित हुए। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती हैं जिन्होंने अपना ई-मेल पता बैंक के साथ या डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत किया है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य शेयरधारकों, जो इसका अनुरोध करते हैं, को भेजी जाती हैं। बैंक की वेबसाइट पर बैंक के कार्यालयीन समाचारों के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, छमाही और तिमाही परिणाम तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक और छमाही परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाती है एवं मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इसके बाद एक अन्य बैठक रखी जाती है जिसमें कई निवेश विश्लेषकों/निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में बैंक के निष्पादन पर विश्लेषकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचना जारी की जाती है तथा उसकी एक प्रति स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की जाती है जिसके साथ निवेशकों/विश्लेषकों हेतु बैंक निष्पादन पर तैयार की गई प्रस्तुतिकरण की प्रति भी होती है।

साधारण शेयरधारक सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक	:	दिनांक : 22.06.2022, समय दोपहर 3 बजे स्थान : स्टेट बैंक ऑडिटोरियम स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 तथा वीसी/एओवीएम के माध्यम से।
वितीय कैलेण्डर	:	01.04.2021 से 31.03.2022
डिविडेंड भुगतान तिथि	:	10.06.2022
स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग	:	बीएसई लिमिटेड, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई), सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बांड) पर सूचीबद्ध जीडीआरएस। एलएसई सहित सभी स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीकरण फीस का भुगतान किया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	:	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई), SBIN (NSE), CUSIP US 856552203 (LSE)
शेयर ट्रांसफर सिस्टम	:	सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के अनुसार 01 अप्रैल 2019 से प्रतिभूतियों का अंतरण केवल डिमैट रूप मेन किया जाएगा। साथ ही शेयर अंतरण के स्थान पर सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार आरटीए द्वारा पुष्टि पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें अंतरित शेयरों के सभी विवरण होंगे। तिमाही शेयर ट्रांसफर लेखा परीक्षा और शेयर कैपिटल लेखा परीक्षा का सामंजस्य नियमित रूप से एक स्वतंत्र कंपनी सेक्रेटरी द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (वर्तमान)	:	मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
यूनिट का पता	:	205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, E/7, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055
फोन नंबर	:	011-42541234, 7290071335
ईमेल पता	:	sbi.igr@alankit.com
पत्राचार का पता	:	एसबीआई, शेयर्स एंड बॉण्ड्स विभाग, कारपोरेट केंद्र , 14th तल, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021.
टेलीफोन नंबर	:	(022) 2274 0841 to 2274 0848
फैक्स	:	(022) 2285 5348
ईमेल पता	:	investor.complaints@sbi.co.in / dgm.snb@sbi.co.in
पूरे संपर्क विवरण के साथ डिबेंचर ट्रस्टियों का नाम (रु में जारी केपिटल इंस्ट्रूमेंट्स)	:	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई -400 001 फोन नंबर - 91-22-4080 7006 फैक्स नंबर : 91-22-6631 1776

ई-पहल: दिनांक 12 मई 2020 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79, एवं दिनांक 15 जनवरी 2021 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 तथा 13 मई 2022 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 के अनुसार एलओडीआर के विनियम 36(1)(ख) एवं विनियम 58(1)(ख) और (ग) की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया जाएगा तथा इसलिए वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रिक मोड के माध्यम से उनके पंजीकृत मेल पर भेज दी जाएगी। इसके अलावा वार्षिक रिपोर्ट हमारी वेबसाइट https://bank.sbi/ web/investor-relations/annual-report से भी डाउनलोड की जा सकती है।

निवेशकों के लिए

निवेशकों की धारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक में मुंबई में शेयर एंड बॉण्ड्स नाम से एक पूरा विभाग कार्यरत है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों या रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के द्वारा, उन्हें तत्काल निपटाया जाता है एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(6) के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही को एकतरफा सीधे वेबकास्ट किया जाता है। वेबकास्ट की सुविधा 22.06.2022 को दोपहर 2.30 बजे से उपलब्ध होगी तथा शेयरधारक कोविड 19 महामारी के कारण, सामाजिक दूरी का पालन करने एवं व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के प्रतिबंधों के कारण इसे https://evoting.kfintech.com या https://bank. sbi द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इसलिए बैंक ने वीसी/ओएसीएम द्वारा वार्षिक महासभा आयोजन का निर्णय लिया है तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजी वृद्धि

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई इक्विटी कैपिटल नहीं बढ़ाई गई।

बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर)

1996 में जीडीआर जारी करने के समय सरकार/आरबीआई द्वारा दो तरह की फंगबिलिटी की अनुमति नहीं दी गई थी, अर्थात जीडीआर धारक ने भारतीय कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी शेयर प्राप्त करने की इच्छा जताई तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयरों में परिवर्तित किया जाना था, लेकिन इसके विपरीत नहीं। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एडीआर/जीडीआर की दो तरह की फंगीबिलिटी की अनुमति दी गई। बैंक ने बैंक के जीडीआर कार्यक्रम में दो तरह के फंगीबिलिटी की अनुमति दी है।

बैंक के पास 31 मार्च 2022 तक 10,360,574 जीडीआर थे जो 103,605,740 इक्विटी शेयर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में दावारहित उचंती खाते में पड़े बकाया शेयरों एवं शेयरधारकों की संख्या	981	2,36,860
जोड़ें - वर्ष के आरंभ में दावारहित उचंती खाते में पड़े बकाया शेयरों एवं पूर्व के एसबीबीजे शेयरधारकों की संख्या	141	16,842
योग	1,122	2,53,702
वर्ष के दौरान दावारहित उचंती खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	8	2056
वर्ष के दौरान दावारहित उचंती खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए उनकी संख्या	8	2056
वर्ष के अंत में उचंती खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,114	2,51,646

इन दावारहित शेयरों पर वोटिंग अधिकार पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेयरों के वास्तविक स्वामी दावा प्रस्तुत नहीं कर देते।

लाभांश की परंपरा/ लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण नीति लागू है। इस नीति का विवरण बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in के लिंक Corporate Governance > Policies के अंतर्गत उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2021-22 में डेरिवेटिव लेनदेन पर गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, इस समय, ब्याज दर एवं मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए ओवर द काउंटर (टोटीसी) डेरिवेटिव्स में सौदे करता है। बैंक द्वारा एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स एवं करेंसी ऑप्शन्स का सौदा भी किया जाता है।

बैंक द्वारा रुपया ब्याज दर अदला-बदली (ओआईएस), विदेशी मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस), फॉरवर्ड रेट करार (एफआरए), कैप्स, फ्लोर्स एवं कॉलर्स के ब्याज दर डेरिवेटिव्स का काम किया जाता है। बैंक द्वारा किए जाने वाले करेंसी डेरिवेटिव्स व्यवसाय में मुद्रा अदला-बदली (सीआईआरएस/सीसीएस), यूएसडी/भारतीय रुपया ऑपशन्स एवं क्रॉस-करेंसी ऑपशन्स शामिल हैं। बैंक द्वारा आरबीआई की स्वीकृति के अनुरूप एनडीओ एवं एलडीएफ ट्रेड भी किया जाता है।

बैंक ग्राहकों को यह उत्पाद उनके निवेश की बचाव व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं। इनका उपयोग बैंक बैलेंस शीट जोखिम को कम करने के लिए भी किया जाता है। जहां कहीं भी अवसर मिलता है वहां पर चुनिंदा तरीके से निर्धारित जोखिम सीमा में ट्रेडिंग/आर्बिटरेज कार्य भी किया जाता है।

बैंक द्वारा यूएसडी/आईएनआर ऑपशन बुक कार्य किया जाता है तथा प्रभावी रूप से ग्रीक लिमिट का प्रबंधन भी किया जाता है। बैंक द्वारा यूएसडी/आईएनआर स्वैप कीमत बनाने के लिए एमआईएफओआर बुक का भी उपयोग किया जाता है।

डेरिवेटिव लेनदेन में बाज़ार जोखिम होता है अर्थात, ब्याज दरों एवं/या विनिमय दरों के प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से बैंक को होने वाली संभावित हानि। डेरिवेटिव स्थिति में ऋण जोखिम भी निहित होता है अर्थात अगर प्रति-पक्षकार अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाते हैं तो बैंक को होने वाली संभावित हानि। बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की 'डेरिवेटिव्स नीति' में जोखिम से निपटने के उपाय का उल्लेख किया गया है। नीति में बाज़ार जोखिम मानदंडों (ग्रीक लिमिट्स, हानि की सीमा, कट-लॉस ट्रिगर्स, ओपन पोजीशन लिमिट्स, वीएआर, संशोधित अवधि, पीवी01 आदि) का स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा उनका सख्ती से पालन किया जाता है। ऋण जोखिम नियंत्रित करने के लिए नीति में ग्राहक/प्रति-पक्षकार पात्रता (क्रेडिट रेटिंग, संबंध की अवधि, सीईएल सीमा की उपलब्धता, ग्राहक उपयुक्तता एवं अनुकूलता (सीएएस) परीक्षण आदि) नियत की गई है जिसका सख्ती से अनुपालन किया जाता है। दायित्वों को पूरा करने की उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षकारों

(काउंटरपार्टी) के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। बैंक द्वारा कारपारेट एवं अंतर-बैंक दोनों डेरिवेटिव प्रतिपक्षकारों के साथ आईएसडीए करार निष्पादित किया जाता है।

प्रत्येक अंतर-बैंक प्रतिपक्षकार (काउंटरपार्टी) के लिए, जोखिम वर्टिकल द्वारा प्रतिपक्षकार निवेश सीमा नियत की जाती है। बैंक ने कुछ प्रतिपक्षकारों के साथ आईएसडीए मास्टर करार के अंतर्गत सीएसए निष्पादित किया है। सीएसए की शर्तों के अनुसार, 'बाज़ार भाव के भीतर' डेरिवेटिव स्थिति से उभरे ऋण जोखिम को सीमित करने के लिए कोलाटरल को स्वैप काउंटरपार्टियों के साथ अंतरित या पोस्ट किया जाता है।

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) द्वारा इन जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन किया जाता है। बैंक का बाज़ार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) द्वारा डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़े बाज़ार जोखिम की पहचान की जाती है, उपाय किया जाता है एवं निगरानी की जाती है। एमआरएमडी द्वारा इन जोखिमों के नियंत्रण एवं प्रबंधन में एएलसीओ की सहायता करता है तथा नियमित अंतराल पर पॉलिसी के दिशानिर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को प्रस्तुत की जाती है।

डेरिवेटिव्स की एकाउंटिंग नीति को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया गया है, जिसका विवरण अनुसूची 17 : प्रमुख लेखा नीति (पीएपी) के तहत दिया गया है।

सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम 2018 (सूचीकरण विनियम) के अंतर्गत प्रकटीकरण

1. बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने अपनी दिनांक 23.03.2022 को आयोजित बैठक में सेबी (एलओडीआर) में संशोधन के अनुरूप विभिन्न बोर्ड स्तर की समितियों जैसे लेखा परीक्षा, हितधारकों के संबंध, जोखिम प्रबंधन तथा नामांकन एवं मानदेय समिति के संदर्भ/भूमिका/पुनर्गठन की शर्तों की समीक्षा की एवं अनुमोदित किया।

2. सूचीकरण विनियमों के विनियमन 24ए के संदर्भ में 31.03.2022 को समाप्त वित्त वर्ष की एक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है।

3. सभी ऋण लिखतों हेतु प्राप्त क्रेडिट रेटिंग में कोई संशोधन नहीं है।

4. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने अधिमानी आबंटन (प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट) या पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से पूंजी नहीं जुटाई है। इसलिए, जुटाई गई निधियों के उपयोग में विचलन/अंतर का निरंक विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 32 (1) के अधीन स्टॉक बाज़ारों में प्रस्तुत किया जाएगा।

5. बैंक ने सूचीकरण विनियमन के विनियमन 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और बैंक के किसी भी निदेशक को किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति से प्रतिबंधित या अयोग्य नहीं घोषित किया है। (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है)।

6. स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों के विवरण बैंक की वेबसाइट पर वेब लिंक https://sbi.co.in/portal/ web/corporate-governance/regulatory-disclosures पर "विनियामक प्रकटीकरण" टैब के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

7. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वर्तमान सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) को अनुसूची V के पैरा सी, सूचीकरण विनियम के खंड 10(के) के अनुसार भुगतान की गई कुल राशि 3,40,48,323.00 रुपए है।

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव को बीएसई सेंसेक्स, एनएसई निफ्टी को निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है।

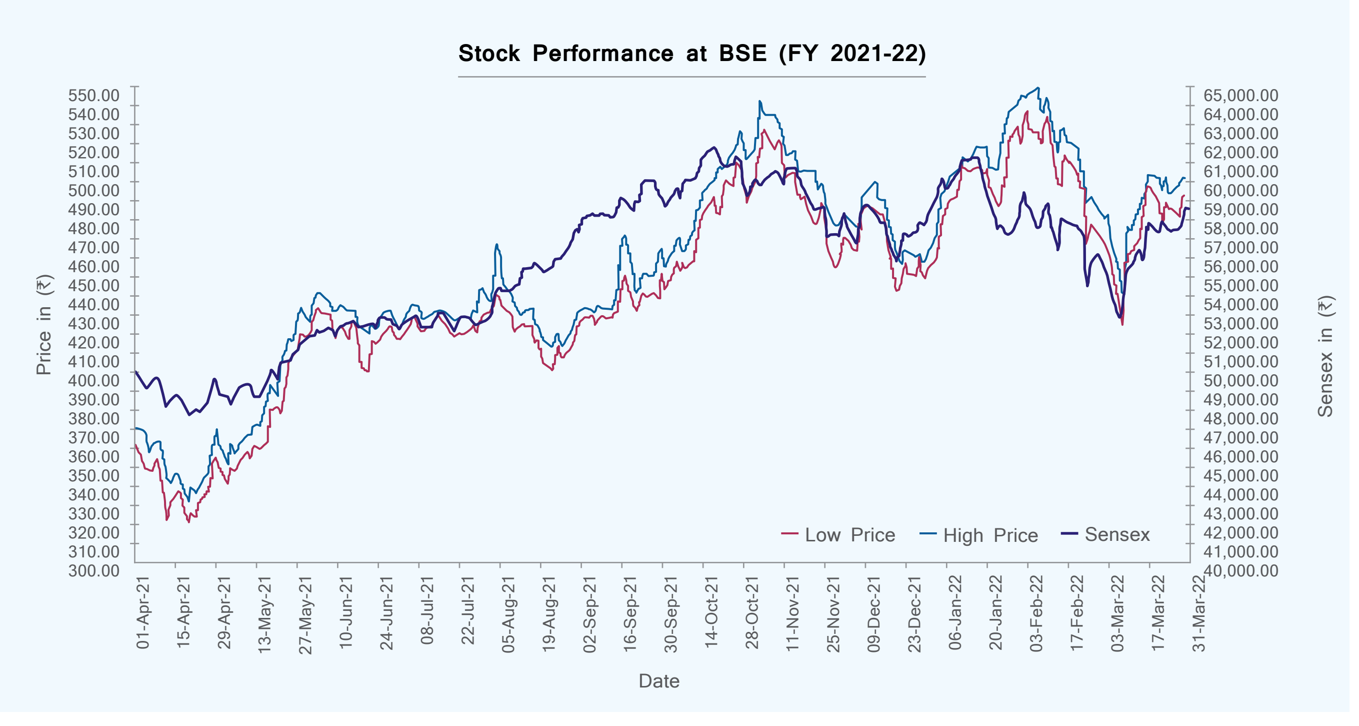

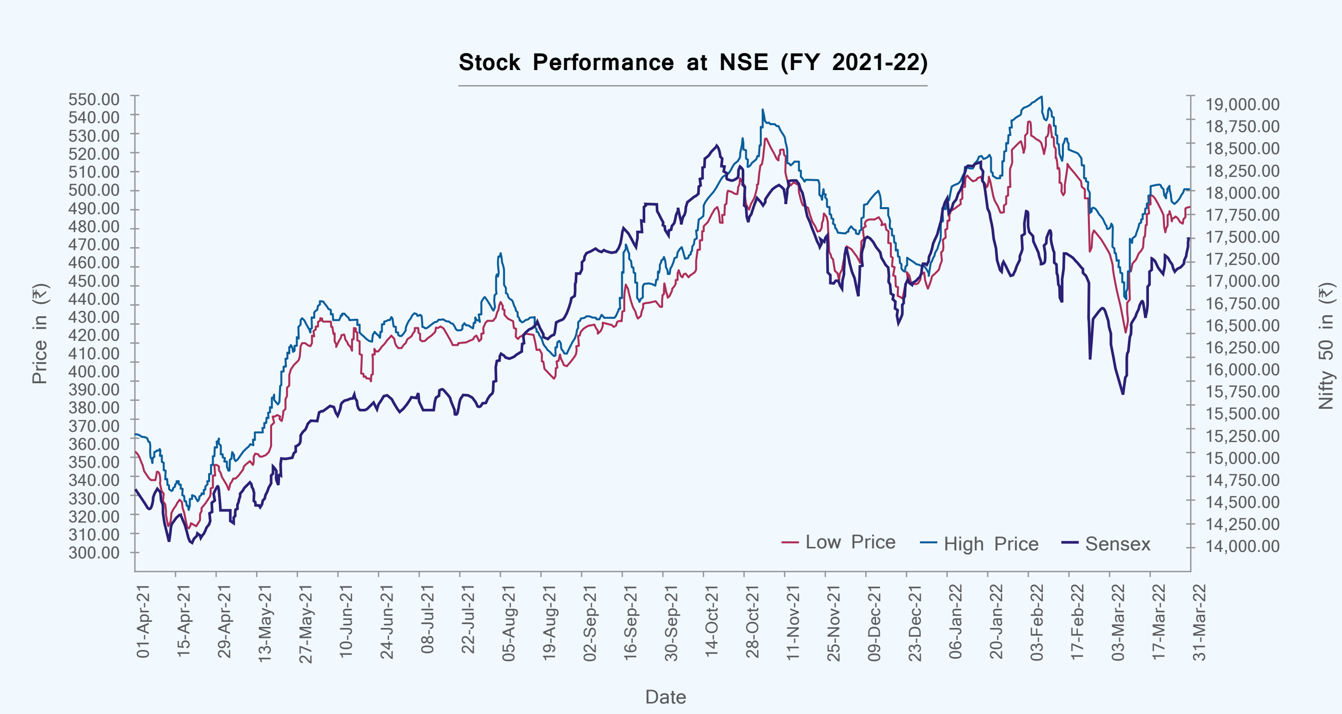

बाज़ार मूल्य आंकड़े

माह	बीएसई (`)		एनएसई (`)		एलएसई (जीडीआर) US$	
	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल-21	370.55	328.80	370.65	328.85	50.40	43.25
मई-21	425.30	350.45	425.20	350.60	58.40	46.75
जून-21	439.65	412.80	439.65	412.90	59.70	55.40
जुलाई-21	441.75	420.40	441.55	420.40	60.00	56.30
अगस्त-21	457.05	406.95	456.95	406.70	61.50	54.90
सितंबर-21	463.65	428.95	463.70	429.10	63.80	58.40
अक्टूबर-21	519.15	451.75	519.15	451.65	70.00	60.80
नवंबर-21	530.45	460.60	530.45	460.55	71.10	60.80
दिसंबर-21	494.70	445.85	494.70	446.00	64.60	59.20
जनवरी-22	538.35	470.85	538.30	470.80	72.00	62.79
फरवरी-22	540.45	472.65	540.55	472.65	72.10	61.30
मार्च-22	501.75	440.20	501.90	440.30	66.30	56.70

नोट : उच्चतम एवं न्यूनतम मूल्य को शेयर के बंद भाव (क्लोसिंग प्राइस) से लिया गया है।
बुक मूल्य प्रति शेयर रुपए 269.48

31 मार्च 2022 को शेयरधारिता का विवरण

क्रम	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	56.92
2	अनिवासी (एफआईआई/ओसीबी/एनआरआई/सीडीआर)	11.31
3	म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	13.32
4	निजी कारपोरेट निकाय	0.79
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनी आदि	11.21
6	अन्य (निवासी व्यक्तियों सहित)	6.45
योग		100.00

31 मार्च 2022 को 10 शीर्ष शेयरधारक

Sr. No.	Name	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	56.92
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	8.31
3	एसबीआई-ईटीएफ सेंसेक्स	2.58
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - खाता एचडीएफसी टॉप 100 फंड	2.36
5	प्रुडेंशियल आईसीआईसीआई ट्रस्ट लिमिटेड - सेंसेक्स प्रुडेंशियल आईसीआईसीआई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड - सेक्यूरिटीज़	1.27
6	द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन	1.16
7	निप्पन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड - खाता निप्पन इंडिया विज़न फंड	1.04
8	एनपीएस ट्रस्ट - खाता एचडीएफसी पेंशन मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड स्कीम टैक्स सेवर-टियर 2	1.02
9	कोटक टैक्स सेवर स्कीम	1.00
10	मिराई असेट टैक्स सेवर फंड	0.81

शेयरों को डीमैट करना एवं तरलता (लिक्विडिटी) : बैंक के इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाती है। 31 मार्च 2022 को कुल इक्विटी पूंजी के 99.23% अर्थात 8,85,56,52,242 शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में थे।

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर %
एनएसडीएल	17,27,343	3,49,10,46,529	39.12
सीडीएसएल	12,12,970	5,36,46,05,713	60.11
भौतिक	42,059	6,89,59,292	0.77
कुल	**29,82,372**	**8,92,46,11,534**	**100.00**

Distribution Schedule as on 31st March, 2022 (Face Value of ₹1 Each)

शेयरों की श्रृंखला संख्या	कुल धारक	कुल धारकों का %	कुल धारिता ₹ में	कुल पूंजी का %
1-5000	29,72,369	99.66	48,77,60,990	5.47
5001-10000	5,106	0.17	3,77,07,698	0.42
10001-20000	2,122	0.07	3,07,01,620	0.34
20001-30000	664	0.02	1,69,74,084	0.19
30001-40000	259	0.01	94,00,741	0.11
40001-50000	187	0.01	88,64,240	0.10
50001-100000	450	0.02	3,40,45,312	0.38
100001- से ऊपर	1,215	0.04	8,29,91,56,849	92.99
कुल	**29,82,372**	**100.00**	**8,92,46,11,534**	**100.00**

अनुलग्नक I

31 मार्च 2022 को बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री बी वेणुगोपाल

1959 में जन्मे श्री बी वेणुगोपाल को 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक नियुक्त किया गया है। आप भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं जिन्हें एलआईसी का 36 वर्षों का लंबा अनुभव है तथा उन्हें पूर्व के स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का भी 2 वर्षों का अनुभव है। केरल विश्वविद्यालय से कॉमर्स एंड कॉस्ट एकाउंटेंसी में स्नातक श्री वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय बीमा अकादमी - पुणे, आईआईएम - अहमदाबाद एवं कोलकाता तथा आईएसबी से व्यवसाय कार्यनीति, परियोजना प्रबंधन, वित्त, विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साथ ही आपने आईएसबी-हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मनीला एवं एफएएलआईए - जापान से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एलआईसी के अपने कैरियर में आपने विपणन, प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहित संस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य किया है। अन्य बातों के साथ आपने कार्यपालक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), मुख्य (आईटी/बीपीआर), क्षेत्रीय प्रबंधक (ईएंडओएस), चेन्नई तथा मदुरै एवं कोयंबतूर प्रभागों के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया।

प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभालने से पहले आप एलआईसी के 8 अंचलों में से सबसे बड़े पश्चिम अंचल के अंचल प्रबंधक भी रहे जिसमें गोवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य आते हैं तथा एलआईसी की कुल प्रीमियम आय में इस अंचल का 25% योगदान रहता है। चूंकि एलआईसी अपने सभी सॉफ्टवेयर स्वयं विकसित करता है एवं उनका अनुरक्षण भी करता है, श्री वेणुगोपाल ने सूचना प्रौद्योगिकी का गहन अनुभव प्राप्त किया तथा इसके लिए वह आरंभ में प्रोग्रामर एवं सिस्टम एनालिस्ट रहे तथा बाद में सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख के रूप में 7 वर्षों तक कार्य किया। वह एलआईसी की उस टीम के प्रमुख रहे जिसने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण एवं एतिहासिक पहल आरंभ की जिसमें से कुछ प्रमुख हैं - एलआईसी कोर बिजनेस सॉल्यूशन (1995-97), एलआईसी की सर्वप्रथम मेट्रो एरिया नेटवर्किंग एवं आईवीआर सिस्टम्स (1998), कॉरपोरेट एक्टिव डाटा वेयरहाउस (2005), ऑनलाइन प्रीमियम कलेक्शन (2006), इंटाप्राइज़ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स (2007) एवं ऑनलाइन अंडरराइटिंग इंजिन एवं पॉलिसी की ऑनलाइन बिक्री (2012) आदि का गठन करना। सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख के अपने कार्यकाल के दौरान एलआईसी को भारत की सभी बीमा कंपनियों के बीच एक से अधिक बार बेस्ट यूज़र ऑफ आईटी का नासकॉम अवार्ड भी प्राप्त हुआ। वर्ष 2009 से श्री वेणुगोपाल ने भारत में विदेश के कई संस्थानों के निदेशक बोर्ड में एलआईसी का प्रतिनिधित्व किया है। वह भारतीय बीमा संस्थान एवं राष्ट्रीय बीमा अकादमी के गवर्निंग बोर्ड में भारतीय जीवन बीमा निगम भविष्य निधि एवं भारतीय जीवन बीमा निगम गोल्डन जुबिली फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में शामिल रहे। वर्तमान में वह भारतीय स्टेट बैंक एवं नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

डॉ. गणेश नटराजन

डॉ. गणेश नटराजन को 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉ. नटराजन 5F वर्ल्ड के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल स्किल्स एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वैश्विक सलाहकार है। आप पुणे सिटी कनेक्ट एवं सोशल वेंचर्स पार्टनर्स इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। आपको एनआईटीआईई एवं आईआईटी बॉम्बे का प्रतिष्ठित एल्यूमनस अवार्ड भी मिल चुका है। उनके किए गए कार्यों पर 2 केस स्टडी लिखी गई हैं एवं उन्हें आईसीबी, आईआईएम बेंगलूरु एवं हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल में पढ़ाया भी जाता है।

सीए श्री केतन एस. विकमसी

श्री केतन विकमसी को 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री विकमसी, 1936 में स्थापित फर्म खीमजी कुंवरजी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के वरिष्ठ पार्टनर हैं। आपके पास आईसीएआई द्वारा जारी आईएफआरएस का प्रमाणीकरण भी है; आईसीएआई का डिप्लोमा इन इंफॉरमेशन सिस्टम लेखा परीक्षा एवं आईडीआरबीटी, हैदराबाद द्वारा बोर्ड सदस्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा का प्रमाणीकरण भी है।

आपको बड़े बैंकों, निर्माण इकाईयों, निवेश बैंकों, बीमा कंपनियों एवं म्यूचुअल फंड के लेखापरीक्षण का 30 वर्ष का लंबा एवं गहन अनुभव है। आप आईसीएआई की विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों, उसकी शाखाओं एवं स्टडी सर्किल, आरबीआई, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) एवं विभिन्न अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमीनार, बैठकों, लेक्चर आदि में प्रमुख वक्ता/अध्यक्षता कर चुके हैं। आप विपासना रिसर्च इंस्टीट्यूट, इगतपुरी एवं मुंबई में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले हॉस्टल- श्री वी एल विद्यार्थीगृह एनजीओ के ट्रस्टी हैं। आप जंगलीजीव एवं प्रकृति प्रेमी हैं, जिन्हें पेशेवर फोटोग्राफी का शौक है तथा आपके घूमने एवं नए स्थानों पर जाने के शौक को पूरा करने हेतु आपने कई विदेश यात्राएं की हैं।

श्री मृगांक एम. परांजपे

श्री परांजपे को 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक नियुक्त किया गया है। आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई से स्नातक हैं एवं भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त हैं। आपको बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, असेट मैनेजमेंट एवं स्टॉक ब्रोकिंग में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का 30 वर्ष का अनुभव है। आप वर्तमान में एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इससे पूर्व आप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। उससे पहले आप भारत एवं सिंगापुर में ड्यूश बैंक में वरिष्ठ प्रबंधन के पदों पर रहे। इससे पूर्व आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, इंडिया इंफोलाइन, आईएनजी बेरिंग्स एवं सिटी बैंक में काम कर चुके हैं।

सीए श्री संजीव महेश्वरी

श्री संजीव महेश्वरी को 20 दिसंबर 2019 से एसबीआई अधिनियम की धारा 19(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्षों के लिए निदेशक नामित किया गया है। श्री महेश्वरी पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और दिवालिया समाधान पेशेवर हैं तथा उन्हें लेखा परीक्षा, कराधान एवं प्रबंधन परामर्शक का 33 वर्षों का लंबा अनुभव है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की केंद्रीय समिति के 09 वर्षों तक सदस्य रह चुके हैं और एकाउंटिंग स्टैंडर्डस बोर्ड ऑफ आईसीएआई के 3 वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं जिस दौरान इंड एएस (भारतीय लेखा मानक) के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने आईसीएआई के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकांश तकनीकी समितियों को सेवाएं प्रदान की हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड के सदस्य तथा साउथ एशिया फेडरेशन ऑफ अकाउंटेट्स के सदस्य के रूप में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

सीए श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़

सीए श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ को 21 दिसंबर 2021 से एसबीआई अधिनियम की धारा 19(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्षों के लिए निदेशक नामित किया गया है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फैलो एवं सक्रिय सदस्य हैं। आप वर्ष 2019-20 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप वर्तमान में पिछले 9 वर्षों से केंद्रीय परिषद के सदस्य हैं। आप आईसीएआई की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य रह चुके हैं जैसे कि एकाउंटिंग स्टैंडर्डस बोर्ड, सस्टेनिबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्डस बोर्ड, प्रोफेशनल डेवलवमेंट कमेटी, एथिकल स्टैंडर्डस बोर्ड, वुमेन मेम्बर्स एम्पावरमेंट कमेटी, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, कमेटी फॉर मेम्बर्स इन इंडस्ट्री आदि। आप आईसीएआई के पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्लूआईआरसी) के सदस्य एवं वर्ष 2007-08 में इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। आप इंटरनेशल फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स द्वारा गठित एक्सिक्यूटिव कमेटी ऑफ वर्ल्ड कॉंग्रेस ऑफ एकाउंटेंट्स 2022 के ग्लोबर चेयरमेन भी हैं। वर्ल्ड कॉंग्रेस ऑफ एकाउंटेंट्स आईएफएसी का बहुत भी प्रतिष्ठित कार्यक्रम होता है। आप कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पेसिफिक एकाउंटेंट्स (सीएपीए) के उपाध्यक्ष भी हैं, जिसका मुख्यालय कुआलालम्पूर में है। आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे एसएएफए, आईएफएसी एसएमपी समिति, सीए वर्ल्डवाइड, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल आदि में सेवाएं दी हैं। वर्तमान में श्री छाजेड़ मुम्बई स्कूल ऑफ एकॉनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी (मुंबई विश्वविद्यालय) के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य हैं, सीआईआई नेशनल कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग के सदस्य, आईसीएआई रजिस्टर्ड वेल्यूर्स ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक, आईएफएसी प्रोफेशनल एकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड एडवाइज़री ग्रुप (2021-23) न्यूयॉर्क के सदस्य हैं। इससे पहले पूर्व में आप एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), एक्सटेनशिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लेंग्वेज (एक्सबीआरएल) इंडिया एवं आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में रह चुके हैं। आप सेबी के प्राथमिक बाज़ार सलाहकार समिति तथा आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैंकिंग एवं वित्तीय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।

श्री संजय मल्होत्रा, आईएएस

श्री संजय मल्होत्रा को 16 फरवरी 2022 से एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अगले आदेश तक के लिए निदेशक नामित किया गया है। श्री मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव से पूर्व देश की एक अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कंपनी आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे। आप भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग स्नातक हैं तथा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में स्नातकोत्तर हैं। अपने 31 वर्ष के उत्कृष्ट कैरियर में आपने विविध क्षेत्रों जैसे वित्त एवं कर, पावर, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में बेहतरीन नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया है।

श्री अनिल कुमार शर्मा

श्री अनिल कुमार शर्मा को 13 अप्रैल 2021 से एसबीआई अधिनियम की धारा 19(एफ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अगले आदेश तक के लिए निदेशक नामित किया गया है।

श्री शर्मा वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। कार्यपालक निदेशक का कार्यभार संभालने से पहले श्री शर्मा भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रवर्तन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर थे। आपने दोआबा कॉलेज जालंधर, पंजाब से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया तथा 1986 में आरबीआई में आने से पहले आप गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एकॉनॉमिक्स, पुणे में सदस्य थे। आपके पास ट्रेज़री एवं जोखिम प्रबंधन का डिप्लोमा है तथा भारतीय बैंकर्स संघ के प्रमाणित सदस्य हैं। आपको बैंक में पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन एवं बैंकिंग, ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन क्षेत्र का बढ़िया अनुभव है। आपने आरबीआई के कृषि बैंकिंग कॉलेज, पुणे में संकाय सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

अनुलग्नक II

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26(1) के उचित अनुपालन में 31.03.2022 को सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों सहित लेखा परीक्षा/हितधारक समिति(यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति/ सेवा समाप्ति की तारीख	सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों सहित लेखा परीक्षा/हितधारक समिति (यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता
1.	श्री दिनेश कुमार खारा	अध्यक्ष	07.10.2020 / 06.10.2023	निदेशक (अध्यक्ष): 03 समिति सदस्य : 00
2.	श्री चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी	प्रबंध निदेशक	20.01.2020 / 19.01.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
3.	श्री अश्विनी भाटिया	प्रबंध निदेशक	24.08.2020 / 31.05.2022	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 00
4.	श्री स्वामिनाथन जे.	प्रबंध निदेशक	28.01.2021 / 27.01.2024	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
5.	श्री अश्विनी कुमार तिवारी	प्रबंध निदेशक	28.01.2021 / 27.01.2024	निदेशक: 03 समिति सदस्य: 05
6.	श्री बी. वेणुगोपाल	गैर-कार्यपालक निदेशक	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 03 समिति अध्यक्ष : 01
7.	डॉ. गणेश नटराजन	गैर-कार्यपालक निदेशक	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 03 समिति सदस्य:06 समिति अध्यक्ष :01
8.	श्री केतन एस. विकमसी	गैर-कार्यपालक निदेशक	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 02 समिति अध्यक्ष :01
9.	श्री मृगांक एम. परांजपे	गैर-कार्यपालक निदेशक	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
10.	श्री संजीव महेश्वरी	गैर-कार्यपालक निदेशक	20.12.2019 / 19.12.2022	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 02
11.	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़	गैर-कार्यपालक निदेशक	21.12.2021 / 20.12.2024	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
12.	श्री संजय मल्होत्रा	गैर-कार्यपालक निदेशक	16.02.2022 / अगले आदेश तक	निदेशक: 01 समिति सदस्य : 00
13.	श्री अनिल कुमार शर्मा	गैर-कार्यपालक निदेशक	13.04.2021 / अगले आदेश तक	निदेशक: 01 समिति सदस्य : 00

अनुलग्नक II ए

31.03.2022 को बोर्ड के निदेशकों और बैंकों/अन्य कंपनियों की बोर्ड स्तरीय समितियों में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का ब्यौरा :

1. श्री दिनेश कुमार खारा

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समित अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - अध्यक्ष वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - अध्यक्ष
2.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	--
3.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	--
4.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	अध्यक्ष	--
5.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	अध्यक्ष	--
6.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड	अध्यक्ष	--
7.	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष	--
8.	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	निदेशक	--
9.	एसबीआईकैप (सिंगापूर) लिमिटेड	निदेशक	--
10.	भारतीय आयात-निर्यात बैंक	निदेशक	--
11.	इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस	निदेशक	--

2. श्री चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समित अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - अध्यक्ष
2.	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	--
3.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		Bancassurance Committee - Chairman

3. श्री अश्वनी भाटिया

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समित अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2.	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	निदेशक	--

4. श्री स्वामिनाथन जे.

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समित अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - अध्यक्ष

5. श्री अश्विनी कुमार तिवारी

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/ सदस्य	समित अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य
2.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	लेखा परीक्षा समिति - सदस्य निवेश समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य
3.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य कार्यकारिणी समिति- अध्यक्ष
4.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	निदेशक	निदेशकों की समिति - अध्यक्ष जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य सीएसआर समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य लेखा परीक्षा समिति - सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - सदस्य
5.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	निदेशक	शेयर आबंटन समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य आईपीओ समिति - सदस्य
6.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं लि.	निदेशक	जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष पॉलिसीधारक संरक्षण समिति - सदस्य निवेश समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य प्रौद्योगिकी समिति - सदस्य बैंकएश्योरेंस समिति - सदस्य लेखा परीक्षा समिति - सदस्य
7.	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
8.	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य
9.	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य लेखा परीक्षा समिति - सदस्य
10.	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज़ प्रा लिमिटेड	निदेशक	--
11.	एसबीआई कैप सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड	निदेशक	--
12.	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य
13.	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्रा लि	निदेशक	--
14.	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	--

6. श्री बी. वेणुगोपाल

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समित अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2.	नैशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स)	निदेशक	पूंजी जुटाने वाली समिति - सदस्य
3.	एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड (एनईएमएल)	अध्यक्ष	लेखा परीक्षा समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य
4.	नेशनल कॉमॉडिटी क्लीयरिंग लिमिटेड (एनसीसीएल)	निदेशक	--

7. डॉ. गणेश नटराजन

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समित अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2.	ज़ेवा केपसोल प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
3.	एलएचआई डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
4.	ग्लोबल टेलेंट ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
5.	लाइटहाउस कॉम्यूनिटीज़ फाउंडेशन	निदेशक	--
6.	5F वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
7.	स्किल्स आल्फा लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
8.	कलज़ूम एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
9.	इन्फ्लेक्सियन अनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
10.	फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली	निदेशक	--
11.	हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यसूशन्स लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध एवं शेयर आबंटन समिति - सदस्य
12.	कॉन्टिन्यूम ऑफ कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
13.	हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति- सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य
14.	एशियन वेंचर फिलान्थ्रॉफी नेटवर्क लिमिटेड	निदेशक	मानव संसाधन समिति - सदस्य कार्यनीति समिति - सदस्य

8. श्री केतन एस. विकमसी

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समित अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - अध्यक्ष बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य

9. श्री मृगांक एम. परांजपे

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समित अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य वसूली निगरानी हेतु बोर्ड समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2.	एनसीडीईएक्स ईमार्केट्स लिमिटेड (एनईएमएल) लिमिटेड	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	प्रौद्योगिकी परामर्श समिति - सदस्य कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
3.	राष्ट्रीय ई-मार्केट सर्विसेज़	निदेशक	--

10. श्री संजीव महेश्वरी

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समित अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - अध्यक्ष बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2.	मुद्रा शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड	निदेशक	--
3.	ट्रस्ट एएमसी ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य

11. श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़

	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समित अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2.	इंटरकॉन्टिनेंटल फोरम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स	निदेशक	--

12. श्री संजय मल्होत्रा

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समित अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य
2.	आरबीआई	निदेशक	--

13. श्री अनिल कुमार शर्मा

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समित अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य

(नोट : केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में वे सभी एवं अन्य निदेशक शामिल हैं जो सामान्यत: भारत में ऐसे किसी स्थान पर निवास करते हैं या उस समय उपस्थित रहते हैं जहां एसबीआई सामान्य विनियम के विनियम 46 के अंतर्गत ईसीसीबी की बैठक आयोजित की जाती है। इसी के साथ, 'बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन-निदेशकों की नियुक्ति एवं बोर्ड समितियों का गठन' पर 26 अप्रैल 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एसीबी के अध्यक्ष का पद ईसीसीबी का भाग नहीं है।)

अनुलग्नक III

31.03.2022 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्रम सं	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1.	श्री दिनेश कुमार खारा	3100
2.	श्री चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी	500
3.	श्री अश्विनी भाटिया	1180
4.	श्री स्वामिनाथन जे.	500
5.	श्री अश्विनी कुमार तिवारी	310
6.	श्री बी वेणुगोपाल	5000
7.	डॉ. गणेश नटराजन	18218
8.	श्री केतन एस. विकमसी	5000
9.	श्री मृगांक एम. परांजपे	10000
10.	श्री संजीव महेश्वरी	Nil
11.	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़	Nil
12.	श्री संजय मल्होत्रा	40
13.	श्री अनिल कुमार शर्मा	800

अनुलग्नक IV

वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठक(₹)	अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1.	श्री बी वेणुगोपाल	6,70,000	18,30,000	25,00,000
2.	डॉ. गणेश नटराजन	6,30,000	18,70,000	25,00,000
3.	श्री केतन एस. विकमसी	8,40,000	11,70,000	20,10,000
4.	श्री मृगांक एम. परांजपे	7,70,000	17,30,000	25,00,000
5.	डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक)	7,70,000	17,30,000	25,00,000
6.	श्री संजीव महेश्वरी	9,10,000	15,90,000	25,00,000
7.	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (21.12.2021 से सदस्य)	2,10,000	4,20,000	6,30,000
8.	श्री चंदन सिन्हा (13.04.2022 तक सदस्य)	0	30,000	30,000

अनुलग्नक V

बैंक की आचार संहिता (2021-22) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

हिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण - निवारण, प्रतिबंध एवं समाधान - वर्ष 2021-22 की स्थिति

वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	06
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	43
मामलों की कुल संख्या	49
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	44
वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	05

31 मार्च 2022 को बोर्ड का हिस्सा रहे निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	नाम	अर्हता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता
1	श्री दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष	एम.कॉम, एमबीए	आप दिल्ली स्कूल ऑफ इक्नॉमिक्स से कॉमर्स में स्नातककोत्तर तथा फैक्लटी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, नई दिल्ली से एमबीए हैं। आपको खुदरा ऋण, एसएमई/कॉरपोरेट क्रेडिट, जमा संग्रहण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन, शाखा प्रबंधन आदि सहित वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र का लंबा अनुभव है। आपने बैंक में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया जैसे प्रबंध निदेशक (वैश्विक बैंकिंग एवं अनुषंगियां), एमडी (सहयोगी एवं अनुषंगियां), एमडी एवं सीईओ (एसबीआई म्यूचुअल फंड्स) एवं मुख्य महाप्रबंधक-भोपाल मंडल। आप विदेश नियुक्ति पर एसबीआई-शिकागो में भी नियुक्त थे। प्रबंध निदेशक के रूप में आपने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह, कॉरपोरेट बैंकिंग एवं ग्लोबल ट्रेज़री ऑपरेशन्स का नेतृत्व किया साथ ही बैंक की गैर-बैंकिंग सहयोगियों जैसे एसबीआई कार्ड्स, एसबीआईएमएफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एवं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस आदि का भी नेतृत्व किया। आपने सहयोगी बैंकों एवं भारतीय महिला बैंक के एसबीआई में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, आपने बैंक के जोखिम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं अनुपालन क्षेत्रों का भी नेतृत्व किया।
2	श्री चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी एमडी (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)	बीएससी (कृषि)	आपको कॉरपोरेट ऋण, रिटेल बैंकिंग एवं विकसित बाज़ार में बैंकिंग का गहन अनुभव है। एमडी का कार्यभार संभालने से पहले, श्री सेट्टी बैंक के उप प्रबंध निदेशक पद पर दबावग्रस्त आस्ति समाधान समूह के प्रमुख थे, जहां उन पर देशभर में विभिन्न क्षेत्रों जैसे उर्जा, इंफ्रा, ऑटो, टेलीकॉम आदि में बैंक के दबावग्रस्त असेट पोर्टफोलियो का समाधान करने का दायित्व था। आप बैंक की न्यूयॉर्क शाखा में सिंडिकेशन टीम के भी प्रमुख रहे हैं।
3	श्री अश्वनी भाटिया एमडी (कॉरपोरेट एवं वैश्विक बाज़ार)	बीएससी (भौतिकी एवं गणित), एमबीए	आपको स्टेट बैंक समूह में साढ़े तीन दशकों का लंबा अनुभव है। प्रबंध निदेशक के असाइनमेंट से पहले श्री भाटिया, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ थे। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड से जुड़ने से पहले आप कॉरपोरेट केंद्र में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर थे जहां कि आपने बैंक की ऋण संरचना एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करते हुए और सशक्त बनाया। उनकी अन्य पदस्थापनाओं में प्रमुख हैं - मुख्य महाप्रबंधक - एसएमई, महाप्रबंधक (खुदरा परिचालन जहां कि आप हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब एवं चंडीगढ़ के प्रमुख थे), साथ ही नेटवर्क बैंकिंग, क्रेडिट, निवेश बैंकिंग एवं असेट मैनेजमेंट का दायित्व भी बखूबी संभाला। आपने एक दशक से अधिक समय तक बैंक के ट्रेज़री ट्रेज़री ऑपरेशन में भी काम किया है जहां कि आप उप महाप्रबंधक (फॉरेक्स), उमप्र (ब्याज दरें), समप्र एवं चीफ डीलर (इक्विटी) रहे हैं। श्री भाटिया ने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के प्रेसिडेंट एवं मुख्य परिचालन अधिकारी का भी दायित्व संभाला है। आपने बैंक के जापान ऑपरेशन्स में टोक्यो में डीलर के रूप में भी काम किया है।
4	श्री स्वामिनाथन जे. एमडी (जोखिम, अनुपालन एवं एसएआरजी)	बी.कॉम, सीएआईआईबी, सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्डरिंग स्पेशलिस्ट (सीएएमएस) एवं सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट (सीडीसीएस)	एसबीआई के अपने 33 वर्षों के लंबे कार्यकाल में, आपने वित्त, खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग तथा शाखा प्रबंधन के विभिन्न एसाइनमेंट संभाले हैं। आपने एसबीआई में डीएमडी (वित्त) एवं प्रमुख डिजिटल अधिकारी सहित विभिन्न पदों पर काम किया है। आपने बैंक की न्यूयॉर्क शाखा में व्यवसाय प्रमुख के रूप में भी काम किया है।
5.	श्री अश्विनी कुमार तिवारी एमडी (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियां)	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल), सीएआईआईबी, सर्टिफाइड फाइनेंसियल प्लानर (सीएफपी), सर्टिफिकेट कोर्स इन मैनेजमेंट (एक्सएलआरआई)	आपको भारत में एवं विदेश में भी बैंकिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों रिटेल, एसएमई, लेनदेन बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्रों में तीन दशकों का बैंकिंग अनुभव है। प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्ति से पहले आप एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड में एमडी एवं सीईओ के पद पर थे। आपने एसबीआई के यूएस ऑपरेशन्स में कंट्री हेड तथा पूर्वी एशिया के क्षेत्रीय प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी निभाई है।
6.	श्री बी. वेणुगोपाल गैर-कार्यपालक निदेशक	कॉमर्स एवं कॉस्ट एकाउंटेंसी में स्नातक	आपको बीमा, वित्त एवं लेखा, जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर विकास), व्यवसाय कार्यनीति, परियोजना प्रबंधन, विपणन आदि के क्षेत्र में 38 वर्षों से अधिक का वृहद अनुभव है। आप भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं जिन्हें एलआईसी का 36 वर्षों का लंबा अनुभव है तथा उन्हें पूर्व के स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का भी 2 वर्षों का अनुभव है।
7.	डॉ. गणेश नटराजन गैर कार्यपालक निदेशक	इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर, नॉलेज मैनेजमेंट में पीएचडी (आईआईटी बॉम्बे), एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम (हावर्ड बिज़नेस स्कूल, यूएसए)	आपको सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का गहन अनुभव है तथा आपने व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्गठन एवं प्रौद्योगिकी रूपांतरण में विशेषज्ञता हासिल की हुई है। डॉ. नटराजन 5F के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं, यह निवेश एवं डिजिटल स्किल्स एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वैश्विक सलाहकार प्लेटफॉर्म है। आपको एनआईटीआईई एवं आईआईटी बॉम्बे का प्रतिष्ठित एल्यूमनस अवार्ड भी मिल चुका है। उनके किए गए कार्यों पर 2 केस स्टडी लिखी गई हैं एवं उन्हें आईएसबी, आईआईएम बेंगलूरू एवं हावर्ड बिज़नेस स्कूल में पढ़ाया भी जाता है।

क्रम सं.	नाम	अर्हता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता
8.	श्री केतन एस. विकमसी गैर कार्यपालक निदेशक	आईसीएआई से चार्टर्ड एकाउंटेंट	आप पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। आप इंडियन मर्चेंट चेम्बर्स की बैंकिंग, फाइनेंस एवं इंश्योरेंस कमेटी, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कैपिटल मार्केट्स कमेटी तथा चेम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स की आरआरसी कमेटी के सदस्य हैं। आपको बड़े बैंकों, निर्माण इकाईयों, निवेश बैंकों, बीमा कंपनियों एवं म्यूचुअल फंड के लेखापरीक्षण का लंबा एवं गहन अनुभव है। आपको एश्योरेंस, लेखा परीक्षा, कराधान, सलाहकार सेवाएं, मूल्यांकन, सावधानी, निरीक्षण, जांच आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है।
9.	श्री मृगांक एम. परांजपे गैर कार्यपालक निदेशक	बी.टेक, आईआईटी बॉम्बे, पीजीडीएम (आईआईएम, अहमदाबाद)	आपको बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, असेट मैनेजमेंट एवं स्टॉक ब्रोकिंग लेनदेन एवं रिटेल बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, डेरिवेटिव, नीतिगत निर्णय आदि में 30 वर्ष का अनुभव है। आप वर्तमान में एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इससे पूर्व आप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। उससे पहले आप भारत एवं सिंगापुर में ड्यूश बैंक में वरिष्ठ प्रबंधन के पदों पर रहे। इससे पूर्व आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, इंडिया इंफोलाइन, आईएनजी बेरिंग्स एवं सिटी बैंक में काम कर चुके हैं।
10.	श्री संजीव महेश्वरी गैर कार्यपालक निदेशक	आईसीएआई से चार्टर्ड एकाउंटेंट	श्री महेश्वरी चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं तथा उन्हें दिवालिया समाधान योजना में विशेषज्ञता के साथ लेखा परीक्षा, कराधान एवं प्रबंधन परामर्शन का लंबा अनुभव है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की केंद्रीय समिति के 09 वर्षों तक सदस्य रह चुके हैं और एकाउंटिंग स्टैण्डर्डस बोर्ड ऑफ आईसीएआई के 3 वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं जिस दौरान इंड एएस के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने आईसीएआई के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकांश तकनीकी समितियों को सेवाएं प्रदान की हैं।
11.	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ गैर-कार्यपालक निदेशक	एफसीए, एलएलबी (जेन), सीपीए (ऑस्ट्रेलिया)	आप पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। श्री छाजेड़ मुम्बई स्कूल ऑफ एकॉनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी (मुंबई विश्वविद्यालय) के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य हैं, सीआईआई नैशनल कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग के सदस्य, आईसीएआई रजिस्टर्ड वेल्यूर्स ऑर्गेनाइज़ेशन के निदेशक, आईएफएसी प्रोफेशनल एकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड एडवाइज़री ग्रुप (2021-23) न्यूयॉर्क के सदस्य हैं। इससे पहले आप एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), एक्सटेनशिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लेंग्वेज (एक्सबीआरएल) इंडिया एवं आईडीबीआई केपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में रह चुके हैं। आप सेबी के प्राथमिक बाज़ार सलाहकार समिति तथा आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैंकिंग एवं वित्तीय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।
12.	श्री संजय मल्होत्रा गैर-काार्यपालक निदेशक	बीटेक, आईआईटी कानपुर, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, प्रिंसटन विश्वविद्यालय (यूएसए)	श्री मल्होत्रा राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव से पूर्व देश की एक अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कंपनी आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे। आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग स्नातक हैं तथा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में स्नातककोत्तर हैं। अपने 31 वर्षों से अधिक के उत्कृष्ट कैरियर में आपने विविध क्षेत्रों जैसे वित्त एवं कराधान, पावर, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में बेहतरीन नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया है।
13.	श्री अनिल कुमार शर्मा गैर-काार्यपालक निदेशक	एमए (अर्थशास्त्र), डिप्लोमा इन ट्रेज़री एंड मैनेजमेंट, सीएआईआईबी	श्री शर्मा वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। कार्यपालक निदेशक का कार्यभार संभालने से पहले श्री शर्मा भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रवर्तन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर थे। आपने अर्थशास्त्र में स्नातककोत्तर किया तथा आप गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एकॉनॉमिक्स, पुणे के यूजीसी ले फ़ेलो थे। आपके पास ट्रेज़री एवं जोखिम प्रबंधन का डिप्लोमा है तथा भारतीय बैंकर्स संघ के प्रमाणित सदस्य हैं। आपको बैंक में पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन एवं बैंकिंग, ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन क्षेत्र का बढ़िया अनुभव है। आपने आरबीआई के कृषि बैंकिंग कॉलेज, पुणे में संकाय सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

नीचे दी गई तालिका में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के अनुसार निदेशक बोर्ड द्वारा तय की गई प्रमुख विशेषताएं एवं कौशल मेट्रिक्स का विवरण दिया गया है जिसे निदेशक का चयन करते समय ध्यान में रखा जाए:

i) **उद्योग की जानकारी/ अनुभव :** उद्योग अनुभव, क्षेत्र की जानकारी, विस्तृत नीति निर्देश की जानकारी, सरकारी कानून/ कानूनी प्रक्रिया की समझ।

ii) **तकनीकी कौशल/ अनुभव :** लेखा, वित्त, विधि, विपणन अनुभव, सूचना प्रौद्योगिकी, जनसंपर्क, पूंजी आबंटन, कॉस्टिंग, बजट नियंत्रण, कार्यनीति विकास एवं कार्यान्वयन।

iii) **अभिशासन क्षमता :** पूर्व निदेशक अनुभव, वित्तीय साक्षरता, अनुपालन केंद्रित, अभिशासन के दृष्टिकोण से कार्यनीतिक सोच/प्लानिंग।

iv) **निदेशक के लिए आरबीआई एवं एसबीआई योग्यता :** निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञता (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यवसाय प्रबंधन। निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों की विशेष जानकारी या अनुभव, जैसे:– (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारी क्षेत्र, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, (viii) अन्य कोई ऐसे क्षेत्र का विशेष ज्ञान या अनुभव, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मतानुसार भारतीय स्टेट बैंक के लिए उपयोगी होगा। जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व, किसानों, कामगारों एवं कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व।

निदेशकगण	**विशेषताएं**			
	उद्योग की जानकारी/ अनुभव	**तकनीकी कौशल / अनुभव**	**अभिशासन क्षमता**	**निदेशक के लिए आरबीआई एवं एसबीओई योग्यता**
श्री दिनेश कुमार खारा	✓	✓	✓	✓
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी	✓	✓	✓	✓
श्री अश्वनी भाटिया	✓	✓	✓	✓
श्री स्वामिनाथन जे.	✓	✓	✓	✓
श्री अश्विनी कुमार तिवारी	✓	✓	✓	✓
श्री बी. वेणुगोपाल	✓	✓	✓	✓
डॉ. गणेश नटराजन	✓	✓	✓	✓
श्री केतन एस. विकमसी	✓	✓	✓	✓
श्री मृगांक एम. परांजपे	✓	✓	✓	✓
श्री संजीव महेश्वरी	✓	✓	✓	✓
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़	✓	✓	✓	✓
श्री संजय मल्होत्रा	✓	✓	✓	✓
श्री अनिल कुमार शर्मा	✓	✓	✓	✓

भौतिक सहायक कंपनियों का वार्षिक प्रकटीकरण

(रुपये करोड़ में)

	31.03.2022		31.03.2022		
	कुल आय	10% से अधिक	नेटवर्थ	10% से अधिक	समग्र
एसबीआई (समेकित)	4,06,973		3,05,588		
कुल आय/निवल मालियत का 10%	40,697		30,559		
भौतिक सूचीबद्ध सहायक कंपनी					
एसबीआई लाइफ	84,016	हाँ	11,621	नहीं	हाँ
भौतिक गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी					
	Nil	-	Nil	-	-

(रुपये करोड़ में)

	जीवन बीमा	31 मार्च 2022 को
1.	कुल आस्तियां	2,73,337
2.	वर्तमान वित्त वर्ष का शुद्ध लाभ	1,506
3.	प्रबंधनाधीन आस्तियां	2,67,409
4.	नए व्यवसाय प्रीमियम की राशि	25,457
5.	नए व्यवसाय प्रीमियम में वृद्धि	23%
6.	नया व्यावाय मार्जिन	25.90%
7.	मार्केट शेयर	22% (एनबीपी आधार पर निजी बाजार हिस्सेदारी)
8.	ऋणशोधन क्षमता अनुपात (सॉल्वेंसी रेशियो)	2.05

प्रबंधन टीम की शिक्षा एवं योग्यताएं

बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शैक्षिक योग्यताओं की जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है। उप प्रबंध निदेशकों की शैक्षिक योग्यताओं की जानकारी नीचे दी जा रही है।

क्रम	शीर्षक	अधिकारी का नाम	योग्यताएं
1	श्री	आलोक कुमार चौधरी	बी.एससी (ऑनर्स), एम.ए
2	श्री	नटराजन सुंदर	एम.एससी (रसायन शास्त्र)
3	श्री	शास्त्री एस. वेंकटरमणा	बी.एससी.
4	श्री	रविंद्र पाण्डेय	एम.एससी
5	श्री	वी.एस.राधाकृष्णन	एम.कॉम, एमबीए
6	श्री	एस.साली	एम.एससी (एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स)
7	श्री	राणा आशुतोष कुमार सिंह	बी.एससी, पीजीईएमपी
8	श्री	प्रबोध पारीख	एम.कॉम, एमबीए
9	श्री	श्रीनिवास एस राव	एम.एससी
10	श्रीमती	सलोनी नारायण	बी.ए (ऑनर्स)
11	श्री	संजय डी नायक	बी.एससी
12	श्री	सुब्रत बिस्वास	बी.एससी (भौतिकशास्त्र)
13	श्री	आर विश्वनाथन	एम.एससी (गणित)
14	श्री	पी. किशोर कुमार	बी.कॉम, पीजीईएमपी
15	श्री	ओम प्रकाश मिश्रा	एम.ए. (अर्थशास्त्र)
16	श्री	बी. राघवेंद्र राव	एम.एससी (टेक) इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग
17	श्री	नितिन चुघ	बी.टेक, पीजीडीएम